न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 175 / 2020 **दायर दिनांकः 05 / 11 / 2020**

उनवान

1. शम्भूसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तह0 अटरू
2. रामसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तह0 अटरू
3. विक्रमसिंह पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तह0 अटरू
4. पदमसिंह पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तह0 अटरू
5. रूपसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तह0 अटरू
6. दलपतसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तह0 अटरू
7. संदीपसिंह पुत्र श्री तेजसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तह0 अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0</u>
<u>एवं 136 एल0आर0एक्ट0</u>

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 06 / 10 / 2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89 [illegible] एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि [illegible] 2075 से 2078 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 455 का ख0नं0 326 की 0.84 है0, ख0नं0 328 की 0.39 है0, ख0नं0 554 की 0.88 है0, ख0 नं0 555 की 0.07 है0, ख0नं0 556 की 0.08 है0, ख0नं0 558 की 0.21 है0, ख0नं0 564 की 1.23 है0, ख0नं0 566 की 0.08 है0, ख0नं0 567 की 0.73 है0 कुल किता 9 की 4.51 है0 आराजी वादीगण के शामलाती खाते दर्ज चली आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.03.16 14:25:09 IST
Reason: SelfAttested

रही है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। उक्त भूमि में फोती इंतकाल दर्ज होने समय खातेदार चतरसिंह छीतरसिंह, रामसिंह, शम्भूसिंह के पिता के नाम के स्थान पर भंवरसिंह दर्ज हो गया। जबकि वादीगण के पिता एवं दादा का नाम गोवर्धनसिंह था। उक्त खातेदारान में छीतरसिंह पुत्र भंवरसिंह, चतरसिंह पुत्र भंवरसिंह एवं तेजसिंह पुत्र चतरसिंह की मृत्यु हो गई है। मगर वादीगण के आधार कार्ड, परिचय पत्र में पिता के नाम के स्थान पर गोर्वधनसिंह दर्ज है। इसलिये इन्तकाल दर्ज नही हो सका। उक्त खाते में वादीगण ने तहसील अटरू में प्रतिवादी के यहां इंतकाल दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी द्वारा पिता का नाम भंवरसिहं के स्थान पर गोर्वधनसिंह दर्ज करवाकर लाने हेतु कहा। जिससे वादीगण अपने पिता एवं दादा की उक्त भूमि पर नामान्तरण दर्ज करवाने व के.सी.सी. बनवाने से वंचित हो रहे है। जबकि वादीगण के ग्राम भकरावदा तहसील अटरू के खाता संख्या 113 में पिता के नाम के स्थान पर गोर्वधनसिंह दर्ज है। केवल ग्राम कवाई तहसील अटरू में नाम संशोधन करवाना चाहते है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण के पिता एवं दादा के नाम की ग्राम कवाई तह0 अटरू की खाता संख्या 455 में वादीगण के पिता एवं दादा के नाम भंवरसिंह के स्थान पर गोर्वधनसिंह दर्ज किया जावे। विकल्प में भंवरसिंह उर्फ गोर्वधनसिंह दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया । साक्ष्यवादी के तहत pw1 से pw3 के शपथ पत्र पेश किये गये व रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। अभिभाषक वादीगण की एकतरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि वादीगण के पिता एवं दादा के नाम की ग्राम कवाई तह0 अटरू की खाता संख्या 455 में वादीगण के पिता एवं दादा के नाम भंवरसिंह के स्थान पर गोर्वधनसिंह दर्ज किया जावे। विकल्प में भंवरसिंह उर्फ गोर्वधनसिंह दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू को प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.03.16 14:25:09 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2075–2078 ग्राम कवाई के खाता संख्या 455 कुल किता 9 रकबा 4.51 है0 आराजी में प्रार्थीगण के पिता व दादा का नाम भंवरसिंह दर्ज है। अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड में शम्भू सिंह पुत्र गोरधन सिंह दर्ज है। आधार कार्ड में रामसिंह पुत्र गोरधन सिंह दर्ज है। आधार कार्ड में विक्रम सिंह पुत्र छितर सिंह

दर्ज है। आधार कार्ड में पदम सिंह पुत्र छितर सिंह दर्ज है। आधार कार्ड में श्री रूपसिंह पुत्र चतर सिंह दर्ज है। आधार कार्ड में दलपत सिंह पुत्र चतर सिंह दर्ज है। आधार कार्ड में संदीप सिंह पुत्र तेज सिंह दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्र में चतर सिंह दर्ज है। ग्राम पंचायत दीलोद हाथी का प्रमाण पत्र दिनांक 02.10.2021 अनुसार भंवरसिंह उर्फ गोरधन सिंह एक ही व्यक्ति है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 455 का ख0नं0 326 की 0.84 है0, ख0नं0 328 की 0.39 है0, ख0नं0 554 की 0.88 है0, ख0 नं0 555 की 0.07 है0, ख0नं0 556 की 0.08 है0, ख0नं0 558 की 0.21 है0, ख0नं0 564 की 1.23 है0, ख0नं0 566 की 0. 08 है0, ख0नं0 567 की 0.73 है0 कुल किता 9 की 4.51 है0 में वादी कम 1 व 2 के पिता तथा वादीकम 3 ता 7 के दादा का नाम उक्त भूमि में भवंरसिंह के स्थान पर भंवरसिंह उर्फ गोरधनसिंह दर्ज करने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.03.16 14:25:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 175/2020

उनवान

1. शम्भूसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तह0 अटरू
2. रामसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तह0 अटरू
3. विक्रमसिंह पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तह0 अटरू
4. पदमसिंह पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तह0 अटरू
5. रूपसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तह0 अटरू
6. दलपतसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तह0 अटरू
7. संदीपसिंह पुत्र श्री तेजसिंह जाति राजपूत निवासी भकरावदा तह0 अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0
एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....ग...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 455 का ख0नं0 326 की 0.84 है0, ख0नं0 328 की 0.39 है0, ख0नं0 554 की 0.88 है0, ख0 नं0 555 की 0.07 है0, ख0नं0 556 की 0.08 है0, ख0नं0 558 की 0.21 है0, ख0नं0 564 की 1.23 है0, ख0नं0 566 की 0.08 है0, ख0नं0 567 की 0.73 है0 कुल किता 9 की 4.51 है0 में वादी क्रम 1 व 2 के पिता तथा वादीक्रम 3 ता 7 के दादा का नाम उक्त भूमि में भवंरसिंह के स्थान पर भंवरसिंह उर्फ गोरधनसिंह दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.03.16 14:25:09 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग..................... मुबालिक ....ग............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग............ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 06.10.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2022.03.16 14:25:09 IST
Reason: SelfAttested